

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(16/19)/2019/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती मन्जु चौहान, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टोंक को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर नियम 110 के तहत दिनांक 12.04.2018 से 11.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

—Sd—

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 17/5/19

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(16/19)/2019/831

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टोंक।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

५

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर